भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 162
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल

***162. श्री अरुण भारती:**
डॉ. अमर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का बिहार सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार के लिए विशेषीकृत अस्पतालों का बिहार में जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत पैनल में शामिल अस्पताल उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या एबी-पीएमजेएवाई के अंतर्गत उपचार से इंकार करने वाले पैनलबद्ध अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) वर्ष 2023 से पैनलबद्ध सक्रिय अस्पतालों का माह-वार आंकड़ा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा प्रति लाभार्थी पैनलबद्ध स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं (ईएचसीपी) की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

02 अगस्त, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 162 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, 12,625 निजी अस्पतालों सहित 29,281 अस्पतालों को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत पैनलबद्ध किया जा चुका है। इस योजना के तहत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य में इस स्कीम के तहत 387 निजी अस्पतालों सहित कुल 972 अस्पतालों को पैनलबद्ध किया गया है। बिहार राज्य में इस स्कीम के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या का जिलावार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

सभी पैनलबद्ध अस्पतालों ने अपनी-अपनी राज्य स्वास्थ्य ऐजेंसियों (एसएचए) के साथ समझौता-ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

लाभार्थी अपनी शिकायतों का समाधान निम्नलिखित तरीकों से करा सकते हैं:

(i) पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा उपचार से इनकार करने पर या इस स्कीम से जुड़ी किसी अन्य समस्या संबंधी अपनी शिकायतों को लाभार्थी विभिन्न माध्यमों जैसे वेब-आधारित पोर्टल केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केंद्र और राज्य के कॉल सेंटरों, एसएचए को पत्र आदि के द्वारा दर्ज करा सकते हैं।

(ii) लाभार्थी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के पास जा सकते हैं।

एसएचए दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों के विरूद्ध कार्रवाई करती हैं जिसमें अस्पतालों को पैनल से हटाया जाना भी शामिल है।

सभी पैनलबद्ध अस्पताल पात्र लाभार्थियों को उपचार देने के लिए उपलब्ध हैं। अस्पतालों की सक्रियता का आकलन इस स्कीम के तहत अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए उपचारों की संख्या के आधार पर किया जाता है जो कि परिवर्तनशील हैं।

अस्पतालों को पैनलबद्ध करना एक सतत प्रक्रिया है। पैनलबद्ध अस्पतालों का नेटर्वक बढ़ाने के लिए, एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अस्पतालों और उनके संघों तक पहुंचना, उनके सरोकारों का समाधान करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, पैनलबद्ध करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना आदि शामिल हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस स्कीम के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों के नेटर्वक में लगातार वृद्धि हुई है।

अनुलग्नक-I

<u>योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण</u>

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या**		
	निजी	**सरकारी**	**कुल**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	7	7
आंध्र प्रदेश	1027	1406	2433
अरुणाचल प्रदेश	4	46	50
असम	170	181	351
बिहार	387	585	972
चंडीगढ़	24	7	31
छत्तीसगढ़	549	1033	1582
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	5	15	20
दिल्ली	52	11	63
गोवा	2	14	16
गुजरात	868	1747	2615
हरियाणा	706	501	1207
हिमाचल प्रदेश	134	138	272
जम्मू और कश्मीर	133	120	253
झारखंड	319	239	558
कर्नाटक	564	2968	3532
केरल	376	202	578
लद्दाख	0	9	9
लक्षद्वीप	0	5	5
मध्य प्रदेश	514	493	1007
महाराष्ट्र	797	207	1004
मणिपुर	31	34	65
मेघालय	17	154	171
मिजोरम	8	80	88
नगालैंड	26	49	75
ओडिशा	1	11	12
पुदुच्चेरी	18	12	30
पंजाब	541	215	756
राजस्थान	974	930	1904
सिक्किम	5	14	19
तमिलनाडु	1202	996	2198
तेलंगाना	352	1014	1366
त्रिपुरा	5	133	138
उत्तर प्रदेश	2634	2948	5582
उत्तराखंड	170	105	275
पश्चिम बंगाल	10	27	37
कुल	12,625	16,656	29,281

अनुलग्नक-II

बिहार राज्य में योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या का जिलावार विवरण

जिला	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या
अररिया	13
अरवल	6
औरंगाबाद	18
बांका	12
बेगूसराय	44
भागलपुर	44
भोजपुर	26
बक्सर	14
दरभंगा	49
गया	40
गोपालगंज	21
जमुई	15
जहानाबाद	10
कैमूर (भभुआ)	12
कटिहार	27
खगड़िया	8
किशनगंज	12
लखीसराय	9
मधेपुरा	22
मधुबनी	36
मुंगेर	15
मुजफ्फरपुर	63
नालंदा	33
नवादा	18
पश्चिम चंपारण	20
पटना	120
पूर्वी चंपारण	29
पूर्णिया	26
रोहतास	27
सहरसा	16
समस्तीपुर	35
सारण	21
शेखपुरा	7
शिवहर	5
सीतामढ़ी	26
सिवान	25
सुपौल	17
वैशाली	31
कुल	972

****